

an>

Title:Need to provide special assistance to Rajasthan for providing potable water.

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत (जोधपुर) : अध्यक्ष महोदया, मैं राजस्थान के सात-आठ करोड़ लोगों के पीने के पानी का दर्द बांट रहा हूँ, इसलिए जितना समय आपने मेरे मित्र दीपेन्द्र जी को माफ़ी मांगने के लिए दिया, उससे आधा समय भी देंगे, तब भी मेरा काम चल जायेगा। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप अपनी बात बोलिये।

â€¦ (व्यवधान)

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत: अध्यक्ष महोदया, राजस्थान के 32 जिलों में से अधिकांश जिलों को कृटिकली डार्क जोन की लिस्ट में रखा गया है। एनआरडीडब्ल्यूपी, यानी राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना के तहत हमें इतने सालों से पैसा मिलता था। जब ये परियोजनाएं सैंवशन होती थीं, तो सैंवशन करने वाली कमेटी में भारत सरकार का एक प्रतिनिधि हमेशा मौजूद होता था। ये परियोजनाएं पिछले कई सालों से स्वीकृत हैं, क्योंकि ये परियोजनाएं तंबे समय की परियोजनाएं होती हैं। इस कारण आज राजस्थान सरकार पर 5,877 करोड़ रुपये की लायबिलिटी खड़ी हो गयी है। वर्तमान बजट का अध्ययन करने पर ज्ञात हुआ है कि राजस्थान सरकार को एनआरडीडब्ल्यूपी स्कीम्स के तहत केवल 300 करोड़ रुपये ही मिलने वाले हैं।

महोदया, इतने वार्षिक लायबिलिटी के साथ-साथ आने वाले समय में लोगों को पानी मुहैया कराने के लिए भी हम सबको योजनाएं बनानी हैं। मैं जोधपुर जिले आता हूँ, वहां इंदिरा गांधी लिफ्ट केनाल परियोजना का प्रथम चरण पूरा हो चुका है और दूसरा चरण हमें अगले तीन साल में पूरा करना है। यदि वह पूरा नहीं किया जाता और इस 26,877 करोड़ रुपये की परियोजना के लिए भारत सरकार पैसा नहीं देती है, तो ऐसी स्थिति में उस परियोजना से जुड़े हुए हजारों गांव और शहर निश्चित रूप से प्रभावित होने वाले हैं और आने वाले पांच साल में वहां भारी तबाही मचने वाली है। यदि इस वार्षिक से और आने वाले वार्षिकों में इन प्रोजेक्ट्स को सैंवशन करके नियमित रूप से पैसा नहीं दिया गया, तो हमारे सामने एक गंभीर समस्या खड़ी होने वाली है।

मैं आपके माध्यम से भारत सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ, एनआरडीडब्ल्यूपी मद में जो लायबिलिटीज राजस्थान की हैं, उनको पूरा करने के लिए धन मुहैया कराया जाए। साथ ही आने वाले समय में राजस्थान की विशेष परिस्थितियों को देखते हुए पेयजल के लिए और अधिक धनराशि उपलब्ध कराई जाए।

माननीय अध्यक्ष:

श्रीमती संतोषा अहलावत,

श्री पी.पी. चौधरी,

श्री दुर्गासंत सिंह,

श्री सी.आर. चौधरी और

श्री अर्जुनलाल मीणा को श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।